



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22052026-272810
CG-MH-E-22052026-272810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]
No. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 8 मई, 2026

फा. सं. सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस809/08-09-015/2026-2027.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित शहरी सहकारी बैंकों सम्मिलित किए जाने का निर्देश देता है:

- कोंताइ को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोंताइ
- प्राईम को-आपरेटिव बैंक लि., सुरत
- श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर
- दि वराह्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि., सुरत

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./104/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th May, 2026

F. No. CO.DOR.RAUG.No.S809/08-09-015/2026-2027.— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following banks, namely:

1. Contai Co-operative Bank Ltd., Contai
2. Prime Co-operative Bank Ltd., Surat
3. Shri Veershaiv Co-operative Bank Ltd., Kolhapur
4. The Varachha Co-operative Bank Ltd., Surat

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./104/2026-27]